भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3574

(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

मामले का आरओसी निपटारा

3574. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2016 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को भेजा गया पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कपट के संबंध में जुड़े मामले को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या आरओसी ने शिकायत की जांच की या मामले में और अधिक पूछताछ करने हेतु शिकायतकर्ता को बुलाया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरओसी द्वारा शिकायत निपटारे हेतु प्रक्रिया को उचित रूप से पालन किए बिना और वह भी सरकार द्वारा प्राप्त शिकायत को बंद करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग): सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(ग) और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 43(3)(ग)(झ) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीरव मोदी (फायरस्टार डायमंड ग्रुप) और श्री मेहुल चिन्नुभाई चोकसी (गीतांजली ग्रुप) से संबंधित 107 कंपनियों और 7 सीमित देयता भागीदारी के कामकाज की जांच करने के आदेश दिनांक 17.02.2018 को गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को दिए हैं जो पंजाब नैशनल बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है जिसमें सभी मामलों की जांच पूरी तरह से की जाएगी। जांच चल रही है।

*****